



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पाँक्सो एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 470/2020 धारा- 363,366,376 भा०द०सं० व 04 पाँक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र विशेष पाँक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वीरू पुत्र शेरे बाबू निवासी हरौली थाना माधौगढ़ जनपद जालौन को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
उ०नि० प्रहलाद  
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा  
का० शुभम यादव